22/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28.11.2022 को पेश हो।
28/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि सहवन से प्रार्थीयान के पूर्व वकील ने उक्त अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की थी जो कि उप जिलाधीश खण्डार के निर्णय दिनांक 21.02.2012 की पालना में तहसीलदार खण्डार के निर्णय दिनांक 05.10.2016 के विरूद्ध की गई है जिसकी सुनवाई का अधिकार क्षेत्र अति. संभागीय आयुक्त को होने से अपील लौटाये जाने का निवेदन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने पर यह तथ्य उभर कर आया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा ग्राम पंचायत कुरेडी द्वारा निर्णित ग्राम वीरपुर के नामान्तरकरण संख्या 274 दिनांक 16.10.1977 को उनके निर्णय दिनांक 27.02.2012 के द्वारा अपाप्त कर इस निर्देश के साथ न्यायालय तहसीलदार खण्डार को प्रति प्रेषित किया गया कि मृतक जगन्नाथ सिंह पुत्र करण सिंह के विधिक वारिसों की विस्तृत जांच करें एवं सम्बंधित पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए विधि संगत निर्णय पारित करें। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार के निर्णय दिनांक 27.02.2012 की पालना में ही न्यायालय तहसीलदार खण्डार द्वारा निर्णय दिनांक 05.10.2016 पारित किया है, किन्तु वकील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार के निर्णय दिनांक 27.02.2012 के तथ्य को छिपाते हुए न्यायालय तहसीलदार खण्डार के निर्णय दिनांक 05.10.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जो कि खारिज योग्य है। अतः प्रस्तुत अपील की सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को ना होने के कारण प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 14:58:24 IST
Reason: SelfAttested